फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

श्रीमति पुष्पा देवी .... बनाम रामेश्वरलाल भांबी

मुकदमा 183, 183 (ख)188 नम्बर 82 / 2017......सन ....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.07.2018	पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित। वकिल वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 23 नियम 3 जाप्ता दीवानी पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थी / वादी अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्या को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि दावे के अभिवचनो में सहवन से त्रुटि हो गयी । वाद में पक्षकारो का संयोजन नही हो सका तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड का भी अंकन समुचित नही हो पाया । इस कारण वाद को विड्रो फरमाने की अनुमति के साथ नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु निवेदन किया गया । जवाब में वकिल प्रतिवादी / अप्रार्थी ने जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि वादिया द्वारा वाद पत्र दिनांक 8.1.18 को पेश किया गया जबकि प्रतिवादी को सम्मन प्राप्त होने पर दिनांक 9.1.18 को आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेष कर वादिया के अभिभाषक को प्रति दिलाई गई तब जाकर वादिया एवं उसके अभिभाषक को यह जानकारी हुई कि उपरोक्त वाद इस न्यायालय में नही चल सकता एवं मुझे प्रतिवादी के खिलाफ किसी भी प्रकार का रिलीफ इस न्यायालय से प्राप्त नही हो सकती तब जाकर दिनांक 8.3.18 को प्रार्थना पत्र पेश किया इसलिये यह कहन गलत है कि सहवन से गलती हो गई है। क्योकि अगर सहवन से गलती होती तो प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 रूल्स 11 के पूर्व में ही वादिया यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती थी। परन्तु प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से ही वादिया को जानकारी हुई इसलिए वादिया को नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नही की जा सकती । वादिया द्वारा यह कहा गया है कि पक्षकारो का संयोजन नही हो सका तथा राजस्व रिकार्ड का अंकन भी समुचित नही है। पक्षकारो को संयोजन के लिये आदेष 1 नियम 10 के द्वारा भी पक्षकारो का संयोजन किया जा सकता है। राजस्व रेकार्ड अंकन के लिये आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। वादि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक	

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner